मध्यूदेश अिभवहन (वनोपज) िनयम, 2000

(भा. व. अ. 1997 की धारा 41, 42 तथा 46 के अन्तगर्त)

अिधसूचना ब. एफ-30-40-95-दस-3 िदनांक 13 िदसम्बर, 2000 -भारतीय वन अिधिनयम, 1927 (1927 का. सं. 16½ की धारा 41 तथा 42 के साथ पिठत धारा 76 द्वारा ूदत्त शिक्तयों को ूयोग में लाते हुए राज्य सरकार,एतद् द्वारा,वनोपज के अिभवहन को िविनियिमत करने के िलए िनम्निलिखत िनयम बनाती है, अथार्त् Ð

1 संिक्षप्त नाम,िवःतार तथा ूारम्भ

(1)इन िनयमों का संिक्षप्त नाम 'मध्यूदेश अिभवहन (वनोपज) िनयम, 2000'
हैं।(2)ये िनयम सम्पूणर् मध्यूदेश को लागू होंगे।
(3)ये िनयम मध्यूदेश राजपऽ में उनके ूकाशन की तारीख से ूवृत्त होंगे।

2 पिरभाषाः इन िनयमों में अिधिनयम से अिभूेत है, भारतीय वन अिधिनयम, 1927 (1927 का सं. XVI)

3 पासों के माध्यम से वनोपज के अिभवहन का िविनयमन - िकसी भी वनोपज का मध्यूदेश राज्य में या उसके बाहर या उसके अन्दर इसमें इसके पश्चात् उपबंिधत रीित के िसवाय, इन िनयमों से संलग्न ूारूप (क), (ख) या (ग) में अिभवहन पास के िबना गमनागमन नहीं िकया जाएगा।

अिभवहन पास, िकसी वन अिधकारी या माम पंचायत या ऐसा पास जारी करने के िलए इन िनयमों के अधीन सम् यक् रूप से ूािधकृत िकसी व् यिक्त द्वारा जारी िकया जाएगा :

परन् तु कोई भी अिभवहन पास Ð

(क) िकसी ऐसे वनोपज को, जो िकसी ऐसे व् यिक्त द्वारा िकसी ऐसे माम की सीमाओं के भीतर, िजसमें यह पैदा हुई हो, राज् य सरकार द्वारा इस िनिमत् त िदए गए िवशेषािधकार या अिधिनयम के अधीन मान् य िकए गए अिधकार का ूयोग करते हुए वाः तिवक घरेलू उपभोग के िलए हटाई जा रही है ।

[1] म. ू. वनोपज अिभवहन (वनोपज) िनयम 2000 के िनयम (3) के परन् तुक के खण् ड 'ख' द्वारा ूदत् त अिधकारों को ूयोग में लाते हुए राज् य सरकार एतद् द्वारा कां ठ, खिनज, वन् य जीव उत् पाद, तेन् दूपत् ता, साल बीज, कुल् लू गोंद को छोड़ समः त अिविनिदर्ं ट लघु वनोपज को उक् त िनयमों के ूवतर्न से मुक्त करता है।

(ख) ऐसे वनोपज को िजसे राज् य सरकार द्वारा, राजपऽ में अिधसूचना द्वारा, इन िनयमों के ूवतर्न से छूट दी जाए।

[2] ब. एफ. 30-8-2002-दस-3, मध्यूदेश अिभवहन (वनोपज) िनयम, 2000 के िनयम (3) के परन् तुक के खण् ड (ख) द्वारा ूदत् त शिक्तयों को ू योग में लाते हुए, राज् य सरकार, एतद् द्वारा, वनोपज को िनम् निलिखत ूजाितयों को उक्त िनयमों के ूवतर्न से छूट ूदान करती है, अथार्त

िनम् निलिखत ूजाितयो का कां ठ Ð

एक. नीलिगरी Ð यूकेिलप् टस ूजाितयां
दो. कैसूिरना Ð कैसूिरना इक् वेजेिटफोिलया
तीन. सूबबूल Ð ल् यूसेिनया ूजाितयां
चार. पापलर Ð पाप् युलस ूजाितयां
पांचः इज़रायली बबूल Ð एकेिशयां टॉरिटिलस
छः. िवलायती बबूल Ð ूोसोिपस जुलीफ्लोरा
सात. बबूल Ð अकेिशया िनलोिटका
आठ. िवलोिपत
नौ. िवलोिपत
दस. आयाितत/शंकुधारी कां ठ (चीड़, कैल, देवदार और पाईन) की अन् य समः त ूजाितयाँ, जो मध् यूदेश में नहीं पाई जाती है, चाहे वे िकसी अन् य नाम से ही जानी जाती हों,
ग् यारह. कटंग बांस Ð बेम् बूसा अरून् डनेिशया

[3] ब. एफ.-28-1-2003-दस-3, िदनांक 24 जून 2003 - मध्यूदेश अिभवहन (वनोपज) िनयम, 2000 के िनयम (3) के परन् तुक के खण् ड (ख) द्वारा ूदत् त शिक्तयों को ूयोग में लाते हुए, राज् य सरकार, एतद् द्वारा कां ठ, खिनज, वन् य जीव उत् पाद, तेंदूपत् ता, साल बीज, कुल् लू, गोंद को छोड़कर समः त अिविनिदर्ं ट लघु वनोपजों को उक्त िनयमों के ूवतर्न से छूट देती है,

(ग) ऐसी वनोपज को, जो तत् समय ृवृत् त इस िनिमत् त बनाए गए िनयमों के अनुसार सक्षम ृािधकारी द्वारा जारी की गई, धन संबंधी रसीद (मनी िरसीप् ट)/रेटेड पास/वनोपज कािटंग चालान के अन् तगर्त आती हो ।

(घ) लघु वनोपज को, वन से ः थानीय बाजार को या संमहण केन् ि को या घरेलू उपभोग के िलये।

(ड) वन से ऐसे खिनज को, िजसके िलए इस िनयमों के अधीन अिभवहन पास आवँ यक नही है, हटाने के िलए अपेिक्षत नहीं होगा।

(1) म. ृ. शासन िअध ब. 28-1-2003-दस-3 िद. 24-6-03 द्वारा जोडा गया ।

(2) म. ृ . वन िवभाग िअधसूचना ब. एफ 30-8-2002-दस-3, िद. 16 मई 2005 (राजपऽ ब. 21 िद. 27.5.2005) एवं िद. 11.7.2007 (राजपऽ ब. 42 िद. 15.10.2010)

(3) म. ृ. वन िवभाग िअधसूचना ब. एफ 30-8-2002-दस-3, िदनांक 11.4.2007 एवं िदनांक 7.5.2012

4. पास जारी करने वाले अिधकारी और व् यिक्त Ð इन िनयमों के अधीन िनम् निलिखत अिधकािरयों और व् यिक्तयों को पास जारी करने की शिक्त होगी Ð

(क) उस वनोपज के िलए, जो सरकार की हो, िडवीजनल फारेः ट ऑफसर, सब िडवीजनल फारेः टऑफसर या कोई अन्य अिधकारी,जो िडवीजनल फारेः ट ऑफसर द्वारा िलिखत में इस िनिमर्त् त ृािधकृत िकया गया हो,

(ख) िकसी व् यिक्त के ः वािमत् व की वनोपज के िलए, िडवीजनल फारेः ट ऑफसर या ऐसा कोई अिधकारी, जो वनपाल (फारेः ट) के पद से िनम् न पद का न हो या ऐसा, अन् य व् यिक्त जो िडवीजनल फारेः ट ऑफसर द्वारा िलिखत में ृािधकृत िकया गया हो या माम पंचायत िजसकी अिधकािरता में वनोपज पाई गई हो या पैदा हुई हो।

(1) िवलोपत ।

(2) ृ ायवेट भूिम (भूिमः वामी) में पाये गये वृक्षों से अिभाप् त कां ठ तथा ईंधन के पिरवहन के िलए अिभवहन पास नीचे अिधकािरता की गई ृिबया के अनुसार जारी िकया जायेगा :

(क) िनम् निलिखत ृजाितयों के कां ठ ईंधन के पिरवहन के िलए अिभवहन, पास, इस ृयोजन के िलए सम् यक् रूप से गिठत "पंचायत ः तर सिमित" की िसफािरश के अनुसार पंचायत द्वारा जारी िकया जाएगा :

(एक) िवलोिपत।
(दो) िसरस Ð अल् बीिजया ृजाितयां
(तीन) िवलोिपत।
(चार) बेर Ð िजजुफस ृजाितयां
(पांच) पलास Ð ब् यूिटया मोनोः पमार्
(छह) जामुन Ð साइजेिजयम कुिमनी
(सात) िरमझा Ð एकेिशया ल् यूको फ्लोइया
(आठ) कटंग बांस में िभन् न बांस (बम् बू) खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, िछन् दवाडा, िसवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मण् डला, िडडौरी, शहडोल, उमिरया और सीधी िजलों के िसवाय। (नौ) िवलोिपत
(दस) नीम Ð अजाडरक् टा इिन्डका
(ग् यारह) आम Ð मैंजीफेरा इिण्डका
(बारह) खमेर Ð मेलाडना अरबोिरया

ब. एफ-28-1-99-दस-3, - मध्यृदेश अिभवहन (वनोपज) िनयम, 2000 के िनयम 5 के अन् तगर्त ृदत् त शिक्तयों को ृयोग में लाते हुए राज् य शासन, एतद् द्वारा, ृवेशके अंदर व बाहर वन उपज की माऽा अनुसार दरें िनधार्िरत कर पिरवहन के िलए पिरवहन अनुज्ञा पऽ जारी करने िक िलए िनम् नानुसार शुल् क िनधार्िरत करता है :-

वनोपज की माऽा	दर (ृित शक)
(1) दो घनमीटर तक	200/ -
(2) 2 से 5 घनमीटर तक	300/ -
(3) 5 घनमीटर से अिधक	

400/

-

(ख) 4(ख) (1) तथा 4(ख) (2) (क) में उिल्लिखत से िभन् न समः त ूजाितयों के कां ठ/ईंधन के िलए अभिवहन पास, पंयायत ः तर सिमित की िसफािरश पर िवचार करने के पँ चात् िडवीजनल फारेः ट आिफसर द्वारा ूािधकृत वन अधिकारी (फारेः ट आिफसर) द्वारा जारी िकया जाएगा।

(ग) (1) िजले या उससे लगे िजलों के भीतर वनोपज का पिरवहन करने के िलए माम पंचायत या उसके द्वारा ूािधकृत व् यिक्त अिभवहन पास जारी करेगा। वनोपज का अन् य गन् तव् य तक पिरवहन करने के िलए अिभवहन पास, िडवीजनल फारेः ट आिफसर द्वारा ूािधकृत वन अधिकारी (फारेः ट आिफसर) द्वारा जारी िकया जायेगा।

(घ) अिभवहन पास जारी करने के िलए, सुसंगत दः तावेजों तथा आवेदन ूः तुत करने पर, आवेदन ूािप्त की तारीख से 30 िदन के भीतर अिभवहन पास जारी िकया जाएगा।

(ड़) लोक वािनकी िमशन के अधीन िनजी ः वािमत् व के कां ठ का पिरवहन भी ऊपिरविहत ूिबया के अनुसार ही िकया जाएगा।

(च) अनुबंध समय मे अिभवहन पास, जारी नही करने के िलए िजम् मेदार अिधकारी/अधीनः थ तथा पंचायत के िवरूद्ध कायर्वाई की जाएगी।

5. अिभवहन पास जारी करने के िलए फीस की दरें Ð राज् य सरकार या राज् य सरकार द्वारा समय-समय पर ूािधकृत िकया गया कोई अिधकारी, िनयम 4 के उपबन् धों के अनुसार अिभवहन पास जारी करने के िलए फीस की दरें िनयत करेगा।

ब. एफ-30-7-99-दस-3- मध्यूदेश अिभवहन (वनोपज) िनयम, 2000 के िनयम 5 के अन् तगर्त ूदत् त शिक्तयों को ूयोग में लाते हुए राज् य शासन, एतद द्वारा, ूवेशके अंदर व बाहर वन उपज के पिरवहन के िलए अनुज्ञा पS जारी करने के िलए िनम् नानुसार शुल् क िनधार्िरत करता है Ð

वनोपज का नाम	ित वाहन शुल् क(रूपये में)				
	रेल् वे वेगन	कन् टेनर	रेल् वेवेगन या कन् टेनर	ित शेक्टर-	ित बैलगाड़ी
इमारती व जलाऊ कां ठ तथा बांस	2000	4000	400	100	20
लघु वनोपज	1000	2000	200	50	10

1 राज् य के बाहर पिरवहन हेतु िनम् नानुसार पिरवहन अनुज्ञा पS जारी करने का शुल् क िनधार्िरत करता है।

1, रेल् वे वेगन द्वारा पिरवहन

2, कन् टेनर द्वारा पिरवहन

3, रेल् वे वेगन के अितिरक् त अन् य वाहन द्वारा पिरवहन

500/-

1250/-

100/- ूित वाहन ूित िशप

2 नोट Ð (1) हाथ ठेले से पिरवहन पर अनुज्ञा शुल् क नहीं िलया जायेगा।

(2) िमनी शक (जैसे टाटा 407) द्वारा वनोपज पिरवहन करने पर शक हेतु िनधार्िरत शुल् क लगेगा।

(3) शक में एक से अिधक व् यापािरयों का माल होने पर पिरवहन पर वाहन की ौेणी अनुसार ूित अनुज्ञा पS अलग-अलग शुल् क लगेगा।

6. अिभवहन पास की िवषयवः तु : (1) िनयम 3 के अधीन जारी िकए गए ूत् येक अिभवहन पास में िनम् निलिखत िविनिदर्ं ट िकया जाएगा।

(क) उस व् यिक्त का नाम, िजसे ऐसा पास मंजूर िकया गया है।

(ख) उसके अन् तगर्त आने वाली वनोपज की माSा और िववरण, लट्ठों की दशा में नाप सिहत एक सूची अिभवहन पास के साथ संलग् न की जावेगी।

(ग) ः थान, जहाँ से तथा जहाँ तक ऐसी वनोपज का पिरवहन िकया जाना है।

(घ) वह मागर्, िजससे ऐसी वनोपज का ूवहण िकया जाना है।

(ड) वह कालाविध िजसके िलए पास ूवृत् त रहेगा।

(च) हथोडे के वैध िचह्न का छाप।

(2) अभिवान पास, इन ियनयमों से संलग् न ूरूप क, ख या ग में नीचे उपदिशर्त िकये गये अनुसार जारी िकया जायेगा :

रूप Ð क Ð वन अधिकारी या इस संबंध में ूािधकृत व् यिक्त द्वारा जारी िकया जावेगा ।

रूप Ð ख Ð माम पंचायत द्वारा जारी िकया जावेगा ।

रूप Ð ग Ð िडवीजनल फारेः ट आिफसर द्वारा ूािधकृत अधिकारी, जो फारेः टर के पद ौेणी से िनम् न पद ौेणी का न हो, फारेन पास के ः थान पर जारी िकया जावेगा ।

(3) अभिवहन पास की ूत् येक पुः तक के बारे में संदेय रािश ूधान मुख् य वन संरक्षक (िूंसीपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेः ट, मध् यूेदश) द्वारा समय-समय पर िविहत की जाएगी।

(4) अभिवहन पास दो ूितयों में और पुः तकों के रूप में िजल् दबंद होगा, जो िडवीजनल फारेः ट आिफसर से अभ्िूप् त िकया जायेगा । ूत् येक पुः तक पर एक पहचान बमांक होगा और ूत् येक पुः तक में पास, बम से संख् यांिकत िकये जावेंगे। ूथम पृं ठ ूितपणर् होगा तथा िद्वतीय पृं ठ उपज के भारसाधक व् यिक्त को िदया जायेगा ।

7. ूत् येक लोड के िलये पृथक् पास होगा: िकसी भी अभिवहन पास में सामान् यत: एक लोड से अिधक का समावेश नहीं होगा, चाहे ऐसे लोड का िकसी व् यिक्त, िकसी पशु द्वारा या िकसी यान में पिरवहन िकया जाए ।

(1) म. ू. अ़िध. ब. एफ 30-7-99-दस-3, िदनांक 24.2.07 द्वारा राज् य के बाहर पिर. शुल् क जोड़ा गया । म. ू. राजपऽ असा. िद. 9.3.2007 पृं ठ 730 पर ूकािशत ।

(2) म. ू. शासन वन िवभाग अ़िध. ब. एफ 30-7-99-दस-3, िद. 6.9.2001 द्वारा जोड़ा गया । म.ू. राजपऽ भाग Ð 1 िद. 6.9.2001 पृं ठ 1933 पर ूकािशत ।

8, पासों को िबगाड़ा नहीं जायेगा : िकसी अभिवहन पास में मागर् और कालाविध के िवषय को छोड़कर मुििित या िलिखत िकसी बात में कोई पिरवतर्न नहीं िकया जाएगा और यह केवल िकसी वन अधिकारी द्वारा, जो फारेः टर की पद ौेणी से िनम् न पद ौेणी का न हो, पास में उिल्लिखत िकये जाने वाले पयार्प् त कारणों से िकया जा सकेगा ।

9, िनरंक पास की पुः तकों का उन् हें जारी करने के िलए ूािधकृत व् यिक्तयों का माम पंचायत को ूदाय िकया जाना :

(1) जब िडवीजनल फारेः ट ऑफसर िनयम 4 के खण् ड (ख) तथा (ग) के अधीन िकसी अधिकारी या व् यिक्त को अभिवहन पास जारी करने के िलए ूािधकृत करता है तो वह ऐसे अधिकारी या ऐसे व् यिक्त या माम पंचायत को, िनरंक पास की अभ्िूमाणीकृत पुः तकें समय-समय पर देगा।

(2) ूािधकृत व् यिक्त या माम पंचायत, िजसको ऐसी पुः तक ूदाय की गई है, िनयम 6 के उपिनयम (3) के अधीन यिद कोई रािश िनयत की गई हो, तो उसका संदाय करेगा ।

(3) कोई व् यिक्त, िजसे पास जारी करने के िलए ूािधकृत िकया गया है, उसके ूािधकार की शतोर् के अनुसार ही अभिवहन पास जारी करेगा ।

10, उपयोग िकये गये अभिवहन पासों के ूितपणों के लेखों का वािपस िकया जाना :

(1) माम पंचायत या कोई व् यिक्त, िजसको अभिवहन पास की पुः तक ूदाय की गई है, िडवीजनल फारेः ट आिफसर को उसके द्वारा जारी िकये गये अभिवहन पास पर उिद्धरत वनोपज का मािसक लेखा ूः तुत करेगा।

(2) उपयोग िकये गये तथा उपयोग न िकये गये समः त अभिवहन पासों के ूितपणर् (काउंटर फाइल) यिद कोई हो, उस अधिकारी को वािपस िकये जायेंगे, िजससे पासों की पुः तक ूाप् त की गई थी । जब तक पूवर् में उपयोग िकये गये समः त पासों के ूितपणर् वािपस नहीं िकये जाते, अभिवहन पास की नई पुः तक (बुक) का ूदाय नही िकया जायेगा ।

11, मांग िकये जाने पर ूितपणोर् का िनरीक्षण के िलये ूः तुत िकया जाना : मांम पंचायत या कोई व् यिक्त, िजसे िनयम 4 के खण् ड (ग) के अधीन अभिवहन पास जारी करने के िलए ूािधकृत िकया गया है, यिद िकसी वन अधिकारी द्वारा, जो फारेः टर की पद ौेणी से िनम् न पद ौेणी का न हो, ऐसी अपेक्षा की जाये तो वह समः त ऐसे पासों के ूितपणोर् को, जो ऐसे व् यिक्त या माम पंचायत द्वारा जारी िकये गये है, िनरीक्षण के िलये पेश करने या वापस करने के िलये आबद्ध करेगा ।

12, पास जारी करने के ूािधकार के रद्दकरण या समािप्त पर ूिबया : यिद िनयम 4 के खण् ड (ग) के अधीन िदया गया ूािधकार रद्द कर िदया जाता है तो ऐसा व् यिक्त िजसका ूािधकार इस ूकार रद्द कर िदया गया है, अभिवहन पासों की उपयोग में न लाई गई ूत् येक पुः तक तथा उसके कब् जे में की ऐसी पुः तक के उपयोग में लाये गये भाग उपभोग में लाये गये पासों के ूितपणर् के साथ, यिद कोई हो, जो पूवर् में वािपस न िकये गये हों, उस अधिकार को, िजसने उसे ूािधकार िदया है, तत् काल वािपस करेगा ।

13, अधिकारी या माम पंचायत या ूाइवेट व् यिक्तयों द्वारा उपयोग में लाये गये अभिवहन पास कब अविधमान् य होंगे:
माम पंचायत या ूािधकृत िकसी अधिकारी या व् यिक्त द्वारा जारी िकये गये अभिवहन पास िविधमान् य नहीं होगे :
(क) यदि ऐसा पास, िनयम 9 के उप-िनयम (1) के अधीन इस ूयोजन के िलये ूदाय िकये गये िनरंक ूरूप पर तैयार न िकया गया हो ।

(ख) यदि पास माम पंचायत ः तर सिमित की िसफािरशों के अन् तगर्त नहीं आता है, या

(ग) यदि पास ऐसे अधिकारी या व् यिक्त या माम पंचायत द्वारा ऐसा पास जारी करने का ूािधकार रद्द करने वाले आदेश की ूािप्त के पँ चात जारी िकया गया हो।

14, कां ठ पर संपित्त तथा अभिवहन िचह्नों का लगाया जाना : िकसी भी कां ठ का मध् यूदेश के िकसी भी िजले से या िजले के भीतर तब तक गमनागमन नहीं िकया जाएगा, जब तक िक उस पर ऐसी िडजाइन का शासकीय अभिवहन िचह्न या माम पंचायत का संपित्त िचह्न न हो, जैसा िक इस िनिमत् त िडवीजनल फारेः ट आिफसर द्वारा समय-समय पर, िविहत िकया जाए। 1 परन् तु राज् य सरकार कां ठ पर ऐसे िचह्नन लगाये जाने के िलये फीस िविहत कर सकेगी ।

15, संपित्त िचह्नों का रिजःशीकरण :

(1) ूत् येक माम पंचायत को, आवेदन करने पर, िडवीजनल फारेः ट आिफसर द्वारा एक संपित्त िचह्न आवंिटत िकया जायेगा, जो कां ठ के ूत् येक टुकडे पर लगाया जाएगा, िजसके िलए माम पंचायत द्वारा अभिवहन पास जारी िकया जाना है ।

(2) कोई भी व् यिक्त उसके ः वािमत् व की कां ठ पर संपित्त िचह्न के िलये िडवीजनल फारेः ट ऑिफसर को आवदेन कर सकेगा जो उस िडवीजन के िडवीजनल फारेः ट ऑिफसर कायार्लय में रिजःशीकृत होगा, िजससे उसका पिरवहन िकया जाना है ।

(3) ूत् येक संपित्त िचह्न िडवीजनल फारेः ट आिफसर द्वारा अनुमोिदत आकृित का होगा : प रन् तु िकसी भी व् यिक्त को ऐसा िचह्न रिजःशीकृत िकये जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जो िकसी दूसरे व् यिक्त या माम पंचायत द्वारा पूवर् में ही रिजःशीकृत िकए या राज् य सरकार द्वारा ूयुक् त िचह्न के समरूप है या िजसके संबंध में ॅ म हो सकता है । ऐसे िववाद की दशा में िक रिजःशीकरण के िलए ूः तािवत िचह्न पूवर् में रिजःशीकृत िकसी अन् य िचह्न से अत् यािधक समानता रखता है या नहीं, िडवीजनल फारेः ट ऑिफसर का िविनँ चत अंितम होगा ।

(4) रिजःशीकरण के िलए 50/- रूपये फीस देय होगी और ऐसा रिजःशीकरण, रिजःशीकरण की तारीख से उस वषर् की 31 िदसम् बर तक ूभावी होगा ।

(5) आकृित (िडवाइस) ूदिशर्त करने वाला रिजःशीकरण का ूमाण-पऽ, अपना िचह्न रिजःशीकरण कराने वाले ूत् येक व् यिक्त को िडवीजनल फारेः ट ऑिफसर द्वारा िदया जाएगा ।

16, वनोपज को िदन के ूकाश में ही हटाया जायेगा : िडवीजनल फारेः ट ऑिफसर की िलिखत में िवशेष अनुज्ञा के िसवाय, िकसी भी वनोपज का सूयार्ः त के पँ चात् तथा सूयोर्दय के पूवर् के समय के बीच, वनों के भीतर पिरवहन नहीं िकया जायेगा ।

17, (1) वनोपज के आयात हेतु रिजःशीकरण : राज् य सरकार, अधिसूचना द्वारा म. ू. में आयात के िलए कां ठ की ऐसी ूजाित या लघुवनोपज िविनिदर्ं ट कर सकेगी िजसके िलये आयात कतार्ओं को वन िवभाग में ः वयं का रिजःशीकृत करवाना आपेिक्षत होगा कोई भी व् यिक्त जो ऐसी कां ठ की ूजाित या लघु वनोपज आयात करने का आशय रखता है ः वयं को उस क्षेऽ के जहाँ वनोपज आयात की जाना है, वन मण् डलािधकारी के कायार्लय में रिजःटर करावेगा।

(2) िडवीजनल फारेः ट आिफसर, रिजःशीकरण के िलये आवेदन ूाप् त होने पर आवँ यक सत् यापन के पँ चात् और आवेदक द्वारा रूपये 500/- का भुगतान कर िदये जाने पर रिजःशीकृत करेगा तथा आवेदक को ूरूप-घ में आयात का रिजःशीकरण ूमाण-पऽ देगा तथा ऐसा रिजःशीकरण, कलेण् डर वषर् के िलए िविधमान् य होगा ।

1(3) अधिसूिचत वनोपज का आयात करने वाला व् यिक्त, उसका ितमाही लेखा, संबंिधत िडवीजनल फारेः ट आिफसर को ूरूप Ð ड में ूः तुत करेगा ।

(1) म. ू. वन िवभाग अिध. ब. एफ 30.8.2002 दस-3, िदनांक 16.5.05 की धारा 2 से िनयम 14 में परन्तुक जोडा गया ।

(2) म . . शासन वन िव. अिध . ब. एफ 30 . .2002 दस-3, िदनाक 16. 5 05 स िनयम 17(1) ितः थािपत ।

18. फारेन पास

(1) (क) ऐसी समः त वनोपज, जो मध् यूदेश राज् य में आयात की जा रही है, िनयार्त िकए जाने वाले राज् य द्वारा जारी िकए गए, अभिवहन पास के अन् तगर्त होनी चािहए तथा कां ठ के मामले में ूत् येक टुकड़े (पीस) पर अभिवहन पास पर उपदिशर्त हथौड़े का छाप होना चािहए ।

(ख) मध् यूदेश के सीमा जाँच नाके (बॉडर्र चैिकंग बैिरयर) पर मूल पास के ः थान पर इस संबंध में ूािधकृत वन अधिकारी द्वारा नया अभिवहन पास जारी िकया जायेगा और मूल पास जमा कर िलया जायेगा।

(ग) कोई कां ठ िजसका आयात राज् य में उपयोग के िलये िकया जा रहा है, हथौड़े से िचिह्नत िकया जाएगा ।

(घ) हैमिरंग फीस, जैसी िक राज् य सरकार द्वारा िविहत की जाए, सीमा जाँच नाके पर वसूल की जाएगी ।
(ड) ऐसी दशा में जब, वनोपज मध् यूदेश में से होकर जा रही हो, ूथम सीमा जाँच नाके से गन् तव् य के िलये राज् य के अंितम सीमा जाँच नाके को उिल्लखत करते हुए अभिवहन पास जारी िकया जाएगा ।

(2) ूत् येक फारेन पास ऐसे ूरूप में होगा, जो उस िडवीजन के िडवीजनल फारेः ट ऑिफसर के कायार्लय में रिजःशीकृत िकया गया हो, िजसमें उसके अधीन वनोपज का आयत िकया जाना चाहा गया हो ।

19. सरकारी िचह्नों की नकल नहीं की जाएगी या उन् हें िमटाया नहीं जाएगा : वन अधिकारी या माम पंचायत द्वारा ूािधकृत व् यिक्त से िभन् न कोई भी व् यिक्त, िजसका कतर्व् य ऐसे िचह्नों का उपयोग करना है, िकसी सरकारी

अभिवहन िचह्न या ऐसे िचह्न, िजससे सरकार की कां ठ िचह्नांिकत की गई हो, के समरूप या उसके अतिसदृँ य कोई संपित्त िचह्न कां ठ के िलए उपयोग में नही लायेगा और कोई भी व् यिक्त जब कोई कां ठ िकसी अधिकारी, माम पंचायत या िनयम 4 क खण् ड (ग) के अधीन इस िनिमत् त ूािधकृत व् यिक्त द्वारा जारी पास के अधीन अभिवहन में हो, उस पर के िकसी िचह्न को पिरवितर्त नहीं करेगा या उसे नहीं िमटायेगा ।

1. म. ू. व. िव. अिध. ब. 30-8-2002-दस-3 िदनांक 16.5.05 की धारा 3 ख से िनयम 17(3) संशोिधत ।

20. अभिवहन में की वनोपज को रोका जाएगा तथा उसकी जाँच की जाएगी

(1) अभिवहन में की कोई वनोपज, िजस पर ये िनयम लागू होते है और ऐसी वनोपज का वहन करने वाले पशु यान, जलयान या बाफ्ट को कोई वन, पुिलस या राजः व अधिकारी द्वारा िकसी भी ः थान पर रोका जा सकेगा, िनरूद्ध िकया जा सकेगा, उसका परीक्षण िकया जा सकेगा या उसकी जांच की जा सकेगी, यिद ऐसे अधिकारी को यह संदेह करने के युिक्तयुक् त आधार हो िक उसका अभिवहन, इन िनयमों के उल् लंघन में िकया जा रहा है या उसके संबंध में सरकार को शोध् य िकसी धन का भुगतान नहीं िकया गया है या यह िक उसके संबंध में कोई वन संबंध अपराध िकया गया है या िकया जा रहा है :

परन् तु ऐसा कोई अधिकारी िकसी वनोपज को, जो वैध रूप से अभिवहन में है, तंग करने की दृिष्ट से या अनावँ यक रूप से िनरूद्ध नही करेगा और न ही ऐसी वनोपज को तंग करने की दृिष्ट से या वनोपज का परीक्षण करने के ूयोजन के िलये अनावँ यक रूप से उतारेगा या उतरवायेगा ।

(2) ऐसी वनोपज का भारसाधक व् यिक्त, ऐसे िकसी अधिकारी को समः त जानकारी, जो वह उसके संबंध में देने में समथर् हो, देगा और यिद वह वनोपज को अभिवहन पास के अधीन हटा रहा है तो ऐसा मांग िकए जाने पर ऐसे अधिकारी के िनरीक्षण के िलए पेश करेगा तथा ऐसे अधिकारी द्वारा वनोपज को रेाके जो या परीक्षण िकए जाते को िकसी भी ूकार से नहीं रोकेगा या उसका िवरोध नहीं करेगा ।

(3) (क) अभिवहन में की ूत् येक वनोपज, मागर् पर वन नाके (जाँच नाके) पर जाँच के िलए ूः तुत की जाएगी ।

(ख) जाँच नाके का भारसाधक, उसमें िदए गए ब् यौरों के अनुसार माऽा की तथा पास पर यथादिशर्त हथौड़ा िचह्न की छाप की जाँच तथा सत् यापन करेगा । वनोपज की वैधता का समाधान हो जाने के पँ चात अभिवहन पास में उिल्लखत ब् यौरों की ूिविष्ट इस ूयोजन के िलए नाकेपर रखे रिजः टर में की जायेगी तथा इस ूकार की गई ूिविष्ट के सामने वनोपज का वहन करने वाले यान के चालक के हः ताक्षर अभ्िाप् त िकए जायेंगे । जांच नाके का भारसाधक, अभिवहन पास में िविहत िकए गए ः थान पर तारीख सिहत अपने हः ताक्षर करेगा तथा मुहर लगाएगा।

(4) यिद कोई फकर् या अिनयिमतताएं ध् यान में आती है, तो भारतीय वन अधिनयम, 1927 की धारा 52 के उपबंध लागू होगे ।

21, कां ठ के संपिरवतर्न का ूितबंध : वन िवभाग के िनयंऽण के िकसी आरिक्षत, संरिक्षत या अवगीर्कृत वनों की सीमाओं के भीतर तथा ऐसी सीमाओं के अः सी िकलोमीटर के भीतर कोई भी व् यिक्त, िकसी वन अधिकारी की, जो

वन संरक्षक (कंजरवेटर आफ फारेः ट) की पद ौेणी से िनम् न पद ौेणी का न हो िलिखत पूवर् मंजूरी के िबना चारकोल या कत् थे का िविनमार्ण नहीं करेगा ।

22. िनयमों का भंग करने पर शािःत Ð

(1) जो कोई इन िनयमों के िकन् हीं उपबंधों का उल् लंघन करता है या ूािधकार के िबना अथवा इन िनयमों के उपबंधों के उल् लंघन में अिभवहन पासों को जारी करता है, वह ऐसी अविध के कारावास से, जो एक वषर् तक की हो सकेगी या ऐसे जुमार्ने से, जो दस हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनो से, दण् डनीय होगा ।

(2) ऐसे मामलों में, जहाँअपराध सूयारः त के पँ चात् और सूयोर्दय के पूवर् िविधपूणर् ूािधकारी के ूितरोध के िलए तैयारी के साथ िकया जाता है, या जहाँअपराधी पूवर् में ऐसे ही अपराध के िलए िसद्ध दोष ठहराया जा चुका है तो अिधरोिपत की जाने वाली शािःत, ऊपरअिपनयम (1) में विणर्त शािःत से दुगनी हागी ।

(3) ऐसे मामलों में जहाँवनोपज, िजसकी बाबत अपराध िकया गया है सरकार की सम् पित्त नही है, या सरकार की संपित्त होते हुए भी उसका मूल् य रू. 1000/- से कम है और यिद अपराधी ने पहली बार अपराध िकया हो तब मामला रू. 10,000/- की रािश या यान का मूल् य जो भी कम हो, के भुगतान पर िकसी अिधकारी द्वारा जो उपवन मण् डलािधकारी की पद ौेणी से कम न हो ूशमन िकया जा सकेगा । अपराध ूशमन पँ चात् कोई ओर कायर्वाही नहीं की जावेगी । अिभमिहत वनोपज, यिद सरकार को संपित्त न हो या उसका मूल् य भुगतान कर िदया हो, जैसी भी पिरिःथित हो िनमुर्क्त की जा सकेगी ।

23. िनरसन : इन िनयमों के ूवृत् त होने पर, इन िनयमों के ूारम् भ होने के ठीक पूवर् मध् यूदेश राज् य के क्षेऽ में ूवृत् त इन िनयमों के तत् ः थानी समः त िनयम िनरः त हो जाएंगे :
परन् तु इस ूकार िनरिसत िकन् हीं भी िनयमों के अधीन की गई िकसी बात या िकसी कायर्वाही के बारे में जब तक ऐसी कोई बात या कायर्वाही, इन िनयमों के िकन् हीं उपबंधों से असंगत न हो, यह समझा जाएगा िक वह इन िनयमों के तत् ः थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

2 ूरूप Ð क
[िनयम 6(2)
देिखए]

पुः तक बमांक ूितपणर् अिभवहन पास बमांक पृं ठ बमांक

1. भण् डारन का ः थान ....
(क) पिरक्षेऽ (रेंज)
(ख) खण् ड (िडवीजन)

....

2. वनोपज के ः वामी का नाम तथा पता ....
3. वनोपज का िववरण *तथा माऽा ....
4. सम् पित्त िचह्न यिद को हो ....
5. उस ः थान का नाम, जहाँ वनोपज का पिरवहन िकया जाना है ....
6. मागर्, िजसके द्वारा वनोपज का पिरवहन िकया जाना है ....
7. नाका (बैिरयर) जहां वनोपज जांच हेतु ूः तुत की जावेगी ....
8. पास के अवसान की तारीख एवं समय *** ....
9. वाहन का ूकार, रिजःशीकरण बमांक तथा मेक िजससे वनोपज का पिरवहन िकया जाना है ....

ः थान : जांच अिधकारी के हः ताक्षर
जारी करने की तारीख : (नाम तथा पदनाम)
तथा समय :
िटप् पणी Ð िद्वतीय पणर्, ूितपणर् के समान होगा । जारी करने वाले अिधकारी का नाम (नाम तथा पदनाम)

* वनोपज का िववरण पृथक से संलग् न िकया जाना चािहए ।

** अवसान की तारीख अिभिनिश्चत करने के िलए ूितिदन लगभग 300 िक.मी. की दूरी के आधार पर कालाविध की गणना की जाना चािहए ।

1. िनयम 22 में उपिनयम (3) मध् यूदेश शासन वन िवभाग अिध बमांक एफ 30-8-2002-दस-3, िदनांक 16/5/05

द्वारा जोडा गया । अिध. राजपऽ भाग 4(ग) िदनांक 27.05.2015 पृं ठ 209-210 पर ूकािशत ।

2. ूारूप 'क' संशोिधत िअध बमांक एफ 30-7-99-दस-3, िदनांक 16/4/08 द्वारा हुआ । मध् यूदेश राजपऽ भाग 4(ग) िदनांक 25.04.08 पृं ठ 93-96 पर ूकािशत ।

1 ूरूप Ð ख

(िनयम 6(2) देिखए)

माम पंचायत द्वारा जारी िकया जाएगा

पुः तक बमांक अभिवहन पास ूितपणर् बमांक पृं ठ बमांक (1) (2) (3)

1. संकल् प बमांक तथा तारीख ....

2. उद्गम ः थान

(क) पंचायत का नाम/माम खसरा बमांक (ख) भूिम ः वामी का नाम

3. वनोपज के ः वामी का नाम तथा पता 4. वनोपज का िववरण* एवं माऽा

....

....

....

5. सम् पित्त िचह्न, यिद को हो ....

6. उस ः थान का नाम, जहां वनोपज का पिरवहन िकया जाना है ....

7. मागर्, िजसके द्वारा वनोपज का पिरवहन िकया जाना है 8. नाका (बैिरयर), जहां वनोपज जांच हेतु ूः तुत की जावेगी

9. पास के अवसान की तारीख एवं समय ***

10. वाहन का ूकार, रिजःशीकरण बमांक तथा मेक िजससे वनोपज का पिरवहन िकया जाना है

....

....

ः थान : जांच अधिकारी के हः ताक्षर

जारी करने की तारीख : (नाम तथा पदनाम)

तथा समय :

िटप् पणी Ð िद्वतीय पणर्, ूितपणर् के समान होगा । जारी करने वाले अधिकारी का नाम (नाम तथा पदनाम)

* वनोपज का िववरण पृथक से संलग् न िकया जाना चािहए ।

** अवसान की तारीख अिभनिश्चत करने के िलए ूितिदन लगभग 300 िक.मी. की दूरी के आधार पर कालाविध की गणना की जाना चािहए ।

1. ूरूप 'ख' तथा 'ग' का संशोधन म.ू. शासन वन िवभाग िअध. ब. एफ-30-7-99 दस-3, िदनांक 16-4-08 द्वारा हुआ ।

रूप Ð ग

(िनयम 6(2) देिखए)

फारेन पास के बदले में जारी िकया जाए

पुः तक बमांक अभिवहन पास ूितपणर् बमांक पृं ठ बमांक (1) (2) (3)

1. उद्गम ः थान ....

(क) ः थान का नाम

(ख) वन िडपो का नाम तथा ूािःथित (ः टेटस)

(ग) िवबेता का नाम

2. वनोपज के ः वामी का नाम तथा पता

3. फारेन पासका बमांक तथा तारीख

4. फारेन पासका जारी करने वाला ूािधकारी

5. वनोपज का िववरण* तथा माऽा

6. सम् पित्त िचह्न आिद कोई हो तो

7. उस ः थान का नाम, जहां उपज का पिरवहन िकया जाना है 8. सीमा जाँच नाका (बैिरयर) का नाम

9. मागर्, िजसके उपज का पिरवहन िकया जाना है
10. नाका/िडपो, जहाँवनोपज जाँच हेतु ूः तुत की जावेगी 11. पास के अवसान की तारीख एवं समय ***
12. हथौड़े का िचह्न (हैमर माकर्)
13. वाहन का ूकार, रिजःशीकरण बमांक तथा मेक, िजससे वनोपज का पिरवहन िकया जा रहा है

िटप् पणी Ð िद्वतीय पणर्, ूितपणर् के समान होगा ।

....

....

....

....

....

* वनोपज का िववरण पृथक से संलग् न िकया जाना चािहए ।

** अवसान की तारीख अिभिनश्चत करने के िलए ूितिदन लगभग 300 िक.मी. की दूरी के आधार पर कालाविध की गणना की जाना चािहए ।

रूप Ð घ

(िनयम 17 (2) देिखए)

1. वनोपज के आयातकत् तार् का नाम तथा पता ....
2. आयात की जाने वाली वनोपज का िववरण
   (क) देश/राज् य, जहाँ से वनोपज आयात की जाएगी
   ....
   (ख) आयात की जाने वाली वनोपज का नाम तथा अनुमािनत माSा ....
3. मागर्, िजसके गंतव् य ः थान तक उसका पिरवहन िकया जाएगा 4. गंतव् य ः थान का नाम
   ....
5. जाँच नाका/िडपो का नाम, जहां वनोपज जांच हेतु ूः तुत की जावेगी ....
6. रिजःशीकरण की तारीख ....
7. रिजःशीकरण के अवसान की कालाविध ....

रिजःशीकरण ूािधकारी के हः ताक्षर तथा उसका पदनाम

रूप Ð ड

(िनयम 17 (3) देिखए)

.... से .... के दौरान आयातीत तथा व् ययनीत कां ठ का ितमाही लेखा

आरंिभक अितशेष आयातीत कां ठकी माSा योग								
जाित	लट्ठा		िचरानसाममी	लट्ठा		लट्ठा		िचरान साममी
	संख् या	घन मी.	घन मी.	सख या	घन मी.	सख या	घन मी.	घन मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

िचरान कां ठ िचराई के पँ चात् की कुल माSा उपयोग की गई या िवबय द्वारा व् ययन की गई माSा								
लट्ठा		िचरान	लट्ठा		िचरान	लट्ठा		िचरान
संख् या	घन मी.	घन मी.	संख् या	घन मी.	घन मी.	संख् या	घन मी.	घन मी.
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ितमाही के अंत में िटप् पिणयाँ अंितम अितशेष			िटप् पिणयां
लट्ठा		िचरान	
संख् या	घन मी.	घन मी.	
(19)	(20)	(21)	(22)

िटप् पणी (1) Ð धारा 4. मध् यूदेश द्वारा धारा 41 के अन् तगर्त बनाए गए िनयम मूलभूत अिधकार अनुच् छेद 19(I) (F) (G) हनन नहीं करते (वीरजी लालजी पटेल एण् ड कम् पनी जबलपुर िव. म.ू. शासन देखे (AIR 1965, Madhya Pradesh 211)

िटप् पणी (2) Ð शासन उस इमारती लकड़ी को जो शासन की संपित्त नहीं है पिरवहन के िलए िनयंिSत कर सकती है। (1977 CrLJ 1963)

िटप् पणी (3) Ð राज् य शासन की जलाऊ लकड़ी तथा कायेला पिरवहन पर ूितबन् ध के आदेश िद. 24-2-82 तथा 23-9-85 को िम. िप. ब. 282/1986 जबलपुर उच् च न् यायालय के िनणर्य में अपाः त कर िदया है।